भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1750**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन की गुणवत्ता के विरुद्ध शिकायतें**

**1750. श्री मोहम्मद अली खानः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान उन रिपोर्टों की ओर गया है जिनमें यह बताया गया है कि कई आंगनवाड़ी केन्द्र बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच करने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) क्या सरकार को आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन की गुणवत्ता के संबंध में किसी से कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) : पूरक पोषण अम्‍ब्रैला आईसीडीएस स्‍कीम की आंगनवाड़ी सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली 6 सेवाओं में से एक है। राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र स्‍कीम के क्रियान्‍वयन, जिसमें पूरक पोषण का प्रबंधन, नियंत्रण और वितरण शामिल है, के लिए उत्‍तरदायी हैं। भारत सरकार दिशानिर्देश जारी करती है; अपने हिस्‍से की निधियां निर्मुक्‍त करती है और स्‍कीम को मानीटर करती है। जब कभी भी पूरक पोषण की चोरी, खाद्य पदार्थों की निम्‍न गुणवता अथवा उससे जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई शिकायत प्राप्‍त होती है, तो उसे दूर करने/उस पर कार्रवाई करने के लिए उस शिकायत को राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को भेजा जाता है। गंभीर आरोपों वाली शिकायतों के संबंध में मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट मंगाई जाती है।

सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों की स्‍थिति की मानीटरिंग के लिए विभिन्‍न स्‍तरों (राष्‍ट्रीय/राज्‍य/जिला/ब्‍लॉक तथा ग्राम स्‍तर) पर 5 स्‍तरीय मानीटरिंग और समीक्षा तंत्र शुरू किया है। सरकार ने आंगनवाड़ी सेवा स्‍कीम के क्रियान्‍ययन की समीक्षा करने के लिए विभिन्‍न स्‍तरों पर मानीटरिंग और समीक्षा समितियों के गठन के संबंध में 31.03.2011 को दिशानिर्देश जारी किए। विभिन्‍न स्‍तरों पर इन समितियों के गठन और उनकी प्रमुख भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है और स्‍कीम को सुदृढ़ बनाने और ज्‍यादा प्रतिभागी बनाने के लिए राज्‍य, जिला तथा ब्‍लॉक स्‍तर पर विभिन्‍न मानीटरिंग समितियों में पंचायती राज संस्‍थाओं तथा सांसदों और विधान सभा के सदस्‍यों को प्रतिनिधित्‍व दिया गया है।

अंतर्निहित 5 स्‍तरीय मानीटरिंग प्रणाली के अलावा, नव गठित पोषण अभियान में सामान्‍य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (सीएएस) के माध्‍यम से आईसीटी आधारित वास्‍तविक समय मानीटरिंग प्रणाली उपलब्‍ध है। आंगनवाड़ी केंद्रों में एकत्र आंकड़ों को अंकीकृत और कंप्‍यूटरीकृत करने के लिए महिला पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्‍मार्ट फोन दिए जाते हैं।

भोजन की गुणवत्‍ता की जांच मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड के अधीन कार्यरत 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं और राज्‍य खाद्य प्रयोगशालाओं के माध्‍यम से की जाती है।

\*\*\*\*\*